




// अधिसूचना //

एतद्वारा सर्वसंबंधितों की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति की 90वीं बैठक दिनांक 26/06/2015 में मध्यप्रदेश राज्य एवं महाविद्यालयों में च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (C.B.C.S.) को लागू करने के संबंध में लिए गये निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यपरिषद् बैठक की दिनांक 16/07/2015 में अंगीकृत किया गया है।

उक्त निर्णयानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी स्वशासी महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 से एतद्वारा च्वाईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (C.B.C.S.) लागू किया जाता है।

उपर्युक्त निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की सभी अध्ययनशालाओं, अध्ययन/अध्यापन एवं परीक्षाओं का आयोजन समन्वय समिति द्वारा पारित संशोधित अध्यादेश 31 के अनुसार होंगे।

कुलपतिजी के आदेशानुसार


  
कुलसचिव

दिनांक :- 10 AUG 2015

क्र.पृष्ठां./शैक्ष./अधि./2015/2312

प्रतिलिपि :-

- 1 विभागाध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 2 प्राचार्य/प्राचार्या समस्त संबद्ध स्वशासी महाविद्यालय, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 3 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, वल्लभ भवन भोपाल।
- 4 आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन 5वीं मंजिल भोपाल।
- 5 विभागाध्यक्ष आय.टी.सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ की वे इस अधिसूचना दे.अ. वि.वि., की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 6 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- 7 परीक्षा नियंत्रक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 8 उपकुलसचिव/सहायककुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय/स्थापना/विकास/शैक्ष.)
- 9 संबंधित सहायक संकाय (परीक्षा/गोपनीय)
- 10 निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद् दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 11 डीन, छात्र कल्याण दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
- 12 सर्व सामान्य की सूचनार्थ सभी अध्ययनशालाओं तथा विश्वविद्यालयीन कार्यालयों के सूचना पटलों पर चस्पा करने हेतु।

  
उपकुलसचिव  
(शैक्षणिक)